झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची

कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दमका।

दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति सं0 – 01/2023

सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची के संकल्प संख्या 1382 दिनांक 20.05.2004 एवं विभागीय संकल्प संख्या 2102 दिनांक 28.07.2004, संकल्प संख्या 236 दिनांक 25.01.2006, संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012, विभागीय पत्रांक 1684 दिनांक 17.09.2013 एवं निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची के पत्रांक 915 दिनांक 07.11.2022 के आलोक में संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के अन्तर्गत अवस्थित निम्नांकित राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 31.03.2023 के संध्या 5:00 बजे** तक आमंत्रित किया जाता है। महिला आवेदक मात्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जसीडीह, देवघर के लिए ही आवेदन कर सकती हैं ।

क्र0	प्रशिक्षण महाविद्यालय / डायट संस्थान का नाम	सीटो की संख्या
1	राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा ,देवघर (सिर्फ पुरूष हेतु)	50
2	जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गुम्मा, गोड्डा। (सिर्फ पुरूष हेतु)	50
3	जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जसीडीह देवघर (सिर्फ महिला हेतु)	50

2– शैक्षणिक योग्यता :– दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडियट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम–से–कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण हो। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण होना अनिवार्य है।

3– आवासीय :– आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

केवल वे ही आवेदक / आवेदिका नामांकन पा सकते हैं जो :–

(i) वे झारखंड के भौगोलिक सीमा में पैदा हुए हो अथवा

(ii) (क) वे,
(ख) उनके पालकों (Parents) में से कोई ,
(ग) उनके पालकों (Parent) में से कोई जीवित न हो तो उनके वैद्य अभिभावक (Parents) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरन्तर कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्षो से रह रहे हों अथवा

(iii) उनके पालकों (Parents) में से कोई भी
(क) झारखंड राज्य शासन में सेवारत हो या सेवा निवृत कर्मचारी हो अथवा
(ख) जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हों और प्रतिनियुक्ति पर झारखंड राज्य में या झारखंड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानो के कर्मचारी हो अथवा

(iv) (क) वे स्वयं,
(ख) उनके पालकों (Parent) में से कोई भी झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में पिछले 5 (पाँच) वर्षो से कोई अचल संपत्ति/उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों।

(v) (क) उसने अपनी शिक्षा झारखंड के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम से कम 7 (सात) वर्षो तक प्राप्त की हो अथवा
(ख) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
 (i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हो।
 (ii) झारखंड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओ के अधिकारियों की संतान एंव उनकी पत्नी/पति हो।
 (iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की पत्नी/पति हो।
 (iv) आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखंड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो वे आवेदन के योग्य होंगे भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो ,यह सुविधा केवल सैनिक सेवाअधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होगी ।
 (v) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र में छूट अनुमान्य होगी ।

(vi) वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित परिवारों के हो तथा जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखंड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों ,

(vii) झारखंड के मान्नीय सांसदों / पूर्व सांसदों / विधायकों / पूर्व विधायकों / पूर्व पार्षदों एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में झारखंड राज्य के पार्षदों के पुत्र / पुत्रियां हो

(viii) इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जायेगा जो किसी अन्य राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से आच्छादित न हो ।

विवाहित महिला आवेदक जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका ससुराल हो तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दावा मान्य नहीं होगा।

4— **आयु सीमा :—** आवेदक की उम्र **पहली जुलाई 2023** को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

5— **आरक्षण :—** कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के पत्र संख्या—1072 दिनांक 17.02.2009 एवं 1433 दिनांक 15.02.2019 तथा पत्र संख्या 5360 दिनांक 08.07.2019 के आलोक में नियमानुसार आरक्षण कोटि के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण कोटि के आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य के आरक्षण कोटा में लाभ देय नहीं है।

6— **<u>चयन</u> :—** विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थी के चयन हेतु मेधांक की गणना नीचे दी गई सारणी में अंकित मेधांक के अनुसार करेगी।

क्र0	प्राप्तांक (अनारक्षित / आरक्षित कोटि)	परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक / (+2)	स्नातक		स्नातकोत्तर
				पास कोर्स / प्रतिष्ठा		
(i)	50% / 45% से अधिक एवं 60% से कम	5	5	5	10	5
(ii)	60% / से 65% तक	6	6	6	11	6
(iii)	65% से अधिक एवं 70% से तक	7	7	7	12	7
(iv)	70% से अधिक एवं 75% से तक	8	8	8	13	8
(v)	75% से अधिक एवं 80% से तक	9	9	9	14	9
(vi)	80% से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांक —	45
एन0सी0सी0 (बी0 सर्टिफिकेट) —	2 अंक
एन0सी0सी0 (सी0 सर्टिफिकेट) —	3 अंक
खेलकूद जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो —	3 अंक
खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो —	5 अंक

कुल मिलाकर 45 + 5 = 50 अंक

कुल मेधांक समान होने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि सभी कुछ समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पूर्व की हो, उन्हें जन्म तिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी ।

7— **<u>सीटों का बंटवारा</u> :—** विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं डायट संस्थानों में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0) में सीटों का बंटवारा एवं उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत् होगा —

क्र0	विषय	विषय समूह	प्रतिशत
1	भाषा	हिन्दी / संस्कृत / अरबी / फारसी / उर्दू	30 प्रतिशत
		अंग्रेजी	10 प्रतिशत
		जनजातीय / क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिशत
2	विज्ञान	भौतिकी एवं गणित	15 प्रतिशत
		रसायन एवं जीव विज्ञान	15 प्रतिशत
3	समाज अध्ययन	इतिहास / भूगोल / नागरिक शास्त्र / अर्थशास्त्र / वाणिज्य	20 प्रतिशत

उपर्युक्त विषय के विषय समूह में से किसी एक विषय समूह में ही आवेदन किया जा सकेगा। जिस विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसमें आवेदक को इन्टरमीडिएट / +2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

8— **<u>दिव्यांग उम्मीदवार</u> :—** दिव्यांग आवेदकों को सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञापांक 2249 दिनांक 03.04.2018 के आलोक में 05 प्रतिशत आरक्षण अपने ही कोटि के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। दिव्यांग कोटि में आरक्षण का दावा सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा। अन्यथा उन्हें दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

9— **<u>आवेदन शुल्क</u> :—** आवेदन पत्र के साथ सामान्य/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2) कोटि के आवेदक रू0 100/—(एक सौ रूपये) का तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए रू0 30/—(तीस रूपये) का बैंक ड्राफ्ट शुल्क के रूप में देय होगा । बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत तथा **क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका** या अंग्रेजी में **R.D.D.E. Santhal Pargana Division, Dumka** के पदनाम से निर्गत तथा **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, दुमका** में भुगतेय होना चाहिए। बैंकर्स चैक या पोस्टल ऑर्डर किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।

10— **<u>आवेदन कैसे करें</u> :—** दैनिक समाचार—पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में नामांकन हेतु पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित, **क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका कार्यालय, मोहल्ला— सराय रोड नया पाड़ा, पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर, दुमका, पोस्ट+जिला—दुमका, पिन कोड— 814101** को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। किसी भी परिस्थिति में हाथों—हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **महिला आवेदक होने की स्थिति में लिफाफे के उपर लाल स्याही/रोशनाई से महिला उम्मीदवार अंकित करेंगे।** नामांकन के लिए बुलावा पत्र हेतु 23 X 10 सें.मी. स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 25/—रूपये का डाक टिकट चिपका हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्ध कर दिया जायेगा ।

अनुलग्नक :— आवेदन प्रपत्र के कॉलम 14 में दिया गया है।

11— **<u>आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि</u> :—** भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 31.03.2023 के अपराह्न 5:00 बजे** तक प्राप्त किये जायेंगे । विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

12— **औपबंधिक मेधा सूची दुमका जिला के अधिकारिक वेबसाईट (एन0आई0सी0) में अपलोड की जायेगी एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी एवं प्रकाशित औपबंधिक मेघा सूची पर दावा/आपत्ति निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जायेंगे एवं आपत्ति निराकरण कर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी तथा नामांकन हेतु प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन अधिकारिक वेबसाईट (एन0आई0सी0) में अपलोड की जायेगी तथा संबंधित** प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य के द्वारा डाक के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा। चयन नहीं होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी। चयनित आवेदकों को नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में नामांकन नहीं लिया जायेगा तथा उनका दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। अस्वीकृत आवेदन पत्र कार्यालय अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे अर्थात इसे लौटाया नहीं जाएगा।

13— विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यदि विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश प्राप्त होता है तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रकिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी को सर्वाधिकार रहेगा।

लिफाफे पर लिखें :— संथाल परगना प्रमंडल दुमका अन्तर्गत राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा (देवघर) /गुम्मा (गोड्डा) एवं डायट संस्थान जसीडीह (देवधर) में सत्र 2023—25 नामांकन हेतु आवेदन —

<u>आवेदन भेजने का पता</u> :— क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका का कार्यालय, मोहल्ला— नया पाड़ा, पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर, दुमका, पोस्ट + जिला— दुमका, पिन कोड— 814101

नामांकन हेतु आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र हाथों—हाथ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

<u>नोट</u> :— दुमका जिला के अधिकृत वेबसाइड www.dumka.nic.in पर भी उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

07/03/23

(रंजमी देवी)
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा, देवघर/जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गुम्मा, गोड्डा एवं (डायट) जसीडीह, देवघर में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु

आवेदन प्रपत्र

विज्ञप्ति सं0 – 01 / 2023

आवेदक का स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :–...

   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरो में) :–...

2. पिता/पति का नाम(हिन्दी में) :–...

   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरो में) :–...

3. जन्म तिथि (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

   क– अंको में...ख– अक्षरों में ....

4. **दिनांक 01.07.2023 को कुल आयु**:– वर्ष.................माह....................दिन..........................

5. स्थायी पता (पिन कोड सहित):– ग्राम /मोहल्ला:–................................

   पो0:–...थाना:–...................................

   जिला:–.......................राज्य:–...................पिन कोड:–..........................

6. वर्तमान / पत्राचार का पता (पिन कोड सहित):– ग्राम /मोहल्ला:–.................................

   पो0:–...थाना:–...................................

   जिला:–.......................राज्य:–...................पिन कोड:–.....................

नोट :– आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नही होगा।

7. आरक्षण कोटि का विवरण (प्रमाण पत्र के साथ):–

सामान्य	
अनुसूचित जाति	
अनुसूचित जन जाति	
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	
आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग	

नोट:– आवेदक आरक्षण कोटि के स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र ही संलग्न करें। जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। आवेदन पत्र के कॉलम 7 में अंकित सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)/आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि के सामने स्पष्ट रूप से अपनी कोटि को लिखें।

8. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र0	शैक्षणिक योग्यता परीक्षा का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम **जिला सहित**	बोर्ड / विश्वविद्यालय परिषद् का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	उत्तीर्णता का श्रेणी	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
क	मैट्रिक / समकक्ष							
ख	इन्टर / समकक्ष							
ग	स्नातक / समकक्ष							
घ	स्नातक (प्रतिष्ठा) / समकक्ष							
ड.	स्नातकोत्तर / समकक्ष							
च	एन0सी0सी0 (बी0 एंव सी0 प्रमाण पत्र यदि हैं तो संलग्न करे)							
छ	खेलकूद (देश अथवा राज्य स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र यदि हैं तो संलग्न करे)							

9– निम्नलिखित विषय या विषय समूहों में से किसी एक विषय / विषय समूह में आवेदन किया जाएगा। जिस विषय या विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय में आवेदक को इन्टरमीडिएट / +2 की परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य है।

1	भाषा	हिन्दी / संस्कृत / अरबी / फारसी / उर्दू	30 प्रतिषत
		अंग्रेजी	10 प्रतिषत
		जनजातीय / क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिषत
2	विज्ञान	भौतिकी एव गणित	15 प्रतिषत
		रसायन एव जीव विज्ञान	15 प्रतिषत
3	समाज अध्ययन	इतिहास / भूगोल / नागरिक शास्त्र / अर्थशास्त्र / वाणिज्य	20 प्रतिषत

किस विषय के विषय समूह में आवेदन किया जा रहा है, उसका नाम निश्चित रूप से स्पष्ट लिखें ....

10– क्या आवेदक सैनिक / भूतपूर्व सैनिक / सासंद / भूतपूर्व सासंद विधायक / भूतपूर्व विधायक / या पूर्व पार्षद के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं ? अगर हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें ....

11– क्या आवेदक निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) हैं ? अगर हाँ तो सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें एवं नीचे अंकित दिव्यांगता का प्रवर्ग के सामने प्रतिशत लिखें :–

	निःशक्तता का प्रवर्ग	निःशक्तता का प्रतिशत
क	अंधापन और कम दृष्टि	
ख	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	
ग	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	
घ	स्वलीनता (Autism), बौद्विक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	
ङ	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, वह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	